न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 181 / 2019(2019 / 00286)

अनवान : —

1. बलवन्त सिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
2. मनीराम पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
3. रोशनी पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
4. सन्तोष पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर तहसील भादरा।
5. आरएमजीबी बैंक कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला हनुमानगढ़

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री श्रवण सहारण वादी
श्री सुरजीत बिजारणियां **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 09/10/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम मलसीसर के खाता संख्या 224 / 228 के खसरा नम्बर 8 की 3.301 है0, खसरा नम्बर 314 / 1 की 5.122 है0 इस प्रकार कुल 8.423 हैक्टेयर बारानी में प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा मलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मलाराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी रामजीलाल ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रामजीलाल ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है [illegible] वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी [illegible] दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल को वादी के दादा मलाराम से विरासतन प्राप्त हुई है,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला—हनुमानगढ़)

जो रोही मौजा ग्राम मलसीसर सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 128 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 रोशनी व प्रतिवादी संख्या 4 संतोष वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि से केसीसी ऋण आदि प्रापत करना चाहते है। इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज रोही मौजा ग्राम मलसीसर के खाता संख्या 224/228 के खसरा नम्बर 8 की 3.301 है0, खसरा नम्बर 314/1 की 5.122 है0 इस प्रकार कुल 8.423 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में है उसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी बलवन्त पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी मलसीसर के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में सरपंच ग्राम पंचायत मलसीसर का सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, जमाबंदी मलसीसर सम्वत 2071–74 प्रदर्श 2, जमाबंदी मलसीसर सम्वत 2029–38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा ग्राम मलसीसर के खाता संख्या 224/228 के [illegible]र 8 की 3.301 है0, खसरा नम्बर 314/1 की 5.122 है0 इस [illegible] 8.423 [illegible]नी प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम राजस्व रिकॉ[illegible]वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 त[illegible] बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ग्राम मलसीसर के खाता संख्या 224/228 के खसरा नम्बर 8 की 3.301 है0, खसरा नम्बर 314/1 की 5.122 है0 इस प्रकार कुल 8.423 हैक्टेयर बारानी प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल के नाम खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी रामजीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी बलवन्त सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 रामजीलाल व प्रतिवादी संख्या 2 मनीराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:32 IST
Reason: SelfAttested